

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प.8(06)शिक्षा-5/आरटीईविविध/2023-07711 जयपुर, दिनांक: 29.08.23

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय:- राजकीय/गैर सरकारी विद्यालयों में प्रवेश हेतु आयु निर्धारण की तिथि के संबंध में।

संदर्भ:- आपके पत्र क्रमांक शिविरा/ प्रारं./ आरटीई/ सी/ आरटीई दिशा निर्देश/
2023-24/ दिनांक 09.08.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि शैक्षिक सत्र 2023-24 में आयु की गणना 31 मार्च के स्थान पर 31 जुलाई तथा प्रवेश तिथि बढ़ाये जाने पर आयु की गणना प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक करने के संदर्भित प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की जाती है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(विजय सिंह)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री, राजस्थान।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव/शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप-1/2) विभाग।
5. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक (संस्थापन/आयोजना) विभाग।
6. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

